

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746 / 2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल


क्र. : 20547 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / टी-1 / 414 / 15. भोपाल दि. : 28 / 10 / 2015

ADDENDUM No-02 [SSR w.e.f. 15.06.2011]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 15.06.2011 से लागू) के अध्याय 6 में आयटम क्रमांक 6.5 में समिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है –

Item No.	Description	Unit	Rate (Rs.)
6.5	<p>Cement Concrete Pavement (CC M-30 without dowel bars)</p> <p>Construction of un-reinforced, plain cement concrete pavement, thickness as per design, over a prepared sub base, with 43 grade cement or any other type as per Clause 1501.2.2 M30 (Grade), coarse and fine aggregates conforming to IS:383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed in a concrete mixer of not less than 0.2 cum capacity and appropriate weigh batcher using approved mix design, laid in approved fixed side formwork (steel channel, laying and fixing of 125 micron thick polythene film, wedges, steel plates including levelling the formwork as per drawing), spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, screed and plate vibrators and finished in continuous operation including provision of transverse joint as per MORD 2014 Clause no. 1501.8.1, admixtures as approved, curing of concrete slabs for 14-days, using curing compound (where specified) and water finishing to lines and grade as per drawing and Technical Specification Clause 1501.</p>	Cum	3732.00

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 15.06.2011 से लागू) के अध्याय 6 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है। यह ADDENDUM तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(एम. के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र 20548 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / टी-1 / 414 / 15. भोपाल दि. : 28 / 10 / 2015

प्रतिलिपि –

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
5. STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ।
6. महाप्रबंधक-तक, (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)